न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 149 / 2024

अनवान : –

1. मांगीलाल पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रेशमी पत्नी गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
5. भवंरी पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. मनीषा पुत्री गोगादेवी पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 99 / 94 की कुल 4.7060 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 98 / 96 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि में से 3011 / 10626 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम का देहान्त हो चुका है गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 6 जो की वादी की मृतक बहिन की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के हक त्याग के बाद वाद भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा[illegible] यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा[illegible]क आजकल आज[illegible]रते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की तरफ से श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सिरंगसर सम्वत 2074–77 खाता संख्या 98/96 व 99/94, मृत्यु प्रमाण पत्र गोरखाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र गोगादेवी, सदस्य प्रमाण पत्र चित्रप्रति बहक गोगादेवी, चित्रप्रति सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 99/94 की कुल 4.7060 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 98/96 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि में से 3011/10626 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा गोरखा पुत्र जुगता उर्फ जुगताराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 99/94 की कुल 4.7060 हैक्ट भूमि में मृतक गोरखा पुत्र जुगताराम का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 98/96 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि में से 3011/10626 हिस्सा भूमि में मृतक गोरखा पुत्र जुगता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 149/2024

अनवान : –

1. मांगीलाल पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रेशमी पत्नी गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
5. भवंरी पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. मनीषा पुत्री गोगादेवी पुत्री गोरखाराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 149 सन 2024 निर्णय दिनांक – 18/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 99/94 की कुल 4.7060 हैक्ट भूमि में मृतक गोरखा पुत्र जुगताराम का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 98/96 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि में से 3011/10626 हिस्सा भूमि में मृतक गोरखा पुत्र जुगता का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:50 IST
Reason: SelfAttested